

**S.M.D. COLLEGE, PUNPUN, PATNA**  
**Tender Notice**  
 Sealed tenders on prescribed format are invited through registered contractors of university for "Construction of 1st floor of Golden Jubilee Bhawan." Estimated Cost-44,80,300.00, E.M. (In Rs.)- 89,700, up to 01 P.M. 20.07.2023.  
 The intending contractors can obtain B.O.Q. on Bank draft of Rs. 2500/- (Two Thousand Five Hundred only non-refundable) through the undersign office during office hours between 10.07.2023 to 15.07.2023. The duly completed tenders in all respect along with E.M. as NSC/DDTD and all documents mentioned as specified must be submitted in sealed envelope up to stipulated.  
 The undersign shall have right to reject any or all tenders without assigning any reason therefor.  
**Sd/- Principal**

प्रपत्र सं. - 05 (विद्यमान-19 (1) (क) / 716 (3) पक्ष)  
**ऋण वसूली न्यायाधिकरण वंडींगड (डीआरटी 2)**  
 प्रपत्र नं.एसीआर 33-34-35, सेक्टर-17, वंडींगड (प्रतीय एवं वृषभ तल पर भी अधिनियम (सं. 2002) के अंतर्गत)

**वारदात- 09/06/2023**

**ऋण वसूली न्यायाधिकरण (प्रक्रिया) निगमावली, 1993 के नियम 5 के उप-नियम (2क) के साथ पठित अधिनियम की धारा 19(4) के तहत सम्मान Exh.No. :18949**

**स्टेट बैंक ऑफ इंडिया**  
**नाम**  
**मेसर्स सखिता मैनिंग वार्स इम्पोर्टर्स**

**सेवा में**  
 (1) मेसर्स सखिता मैनिंग वार्स इम्पोर्टर्स ए/उसुव/ए/ओ/श्रीमती कमलेश चौहान निगारी दुकान नंबर 295-ए, वार्ड सं 33, ब्लॉक सं 2, मलेरना रोड, ऊंचा गांव, आदर्श नगर, बल्लभगढ़, फरीदाबाद, अपने एकमात्र मालिक श्रीमती कमलेश चौहान पत्नी श्री दर्शन लाल चौहान व न सं. AEPPC2703K के माध्यम से एक स्थायित्व संबंधित फरीदाबाद, हरियाणा  
 (2) श्रीमती कमलेश चौहान पत्नी श्री दर्शन लाल चौहान निगारी नंबर 295-ए, वार्ड सं 33, ब्लॉक नंबर 2, मलेरना रोड, ऊंचा गांव, आदर्श नगर, बल्लभगढ़, फरीदाबाद, हरियाणा  
 (3) श्री दर्शन लाल चौहान पुत्र श्री मोहन लाल चौहान निगारी मकान नंबर 295-ए, वार्ड सं 33, ब्लॉक नंबर 2, मलेरना रोड, ऊंचा गांव, आदर्श नगर, बल्लभगढ़, फरीदाबाद, हरियाणा

**समन**  
 जांच, ओप/908/2019 माननीय पीठ अधिकारी/रजिस्ट्रार के सम्म 15-03-2023 को पेश किया गया था। जांच, यह माननीय न्यायाधिकरण रु. 46,16,098.81/- की ऋण वसूली के लिए आपके विरुद्ध दायित्व किए गए (ओप) के संबंध में अधिनियम की धारा 19(4) के तहत, उचित आवेदन पर सम्मान/नोटिस जारी करने का अनुग्रह कर रहा है (दस्तावेजों इत्यादि की प्रतियों सहित आवेदन संलग्न है)। अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (4) के तहत आप प्रतिवादी(सी) को निम्न निर्देश भी दिया जाता है।

- समन की तारीख के तीस दिन के भीतर कारण बताएं कि प्रार्थित राहत क्यों मंजूर नहीं की जाए ;
- मूल आवेदन के क्रमांक 3क के तहत आवेदक द्वारा विनिर्दिष्ट समयावधि तथा आसितियों के अधिनियम समयावधि अथवा आसितियों का विवरण, प्रस्तुत करें।
- आप को, समयावधि की वृद्धि के लिए आवेदन की सुनवाई तथा आवेदन का निराकरण लिखित राहते तक, प्रत्याभूति आसितियों अथवा मूल आवेदन के क्रमांक 3क के तहत विनिर्दिष्ट समयावधि तथा आसितियों के संबंध में संव्यवहार अथवा निपादन करने की मनाही की जाती है।
- आप किसी भी आसितियों पर कोई प्रतिभूति दितु प्रस्तुत किया गया है तथा/अथवा मूल आवेदन के क्रमांक 3क के तहत आवेदक द्वारा विनिर्दिष्ट अथवा खुलासा की गई समयावधि तथा आसितियों का अंतरण किसी, पट्टा अथवा अन्य प्रकार से, आपके व्यवसाय के साधारण कार्यों को छोड़कर, न्यायाधिकरण की पूर्ण अनुमति के बिना, नहीं करेंगे;
- आप व्यवसाय के साधारण कार्यों में प्रत्याभूति आसितियों अथवा अन्य आसितियों तथा समयावधि की बिछी से प्राप्त होने वाली राशि का हिसाब रखने तथा ऐसी प्रतियां प्राप्त आसितियों पर प्रतिभूति दितु धारक बैंक अथवा वित्तीय संस्थाओं में अनुसूचित खाते में जमा करने हेतु जिम्मेदार होंगे। आपको लिखित कारण दायित्व करने, उसकी प्रति आवेदक को मुहैया कराने तथा दिनांक 24-07-2023 को पूर्ण, 10:00 बजे एडवॉकेट के सम्म पेश होने का भी निर्देश दिया जाता है, जिसमें अफसल रहने पर आवेदन की सुनवाई और निष्पत्ती आणकी प्रमाणित में किया जाएगा।

मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायाधिकरण की मोहर लगाकर 30-06-2023 को दिया गया।  
**समन जारी करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर**

**जन सूचना**  
 सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स लैविश बिल्डमार्ट प्राइवेट लिमिटेड को स्टेट एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी, उत्तर प्रदेश द्वारा प्लॉट नंबर 1, सेक्टर-94, नोएडा, यू.पी पर प्रस्तावित कॉमर्सियल बिल्डिंग, के लिए पर्यावरण मंजूरी ईसी पश्चान संख्या EC23B039UP111744, प्रस्ताव संख्या SIA/UP/INFRA2/420853/2023 और फाईल नंबर 7695-7660 दिनांक 22/06/2023 प्रदान की गई है। उक्त पर्यावरण मंजूरी पत्र की प्रतियां पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट [www.environmentclearance.nic.in](http://www.environmentclearance.nic.in) पर उपलब्ध हैं।  
**मैसर्स लैविश बिल्डमार्ट प्राइवेट लिमिटेड**

**सैंटिन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड**  
 CIN:U65929DL2017PLC316143  
 पंजीकृत कार्यालय: 5वां नंबर, कुंदन भवन, आजादपुर कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स, आजादपुर, नई दिल्ली-110033  
 कॉर्पोरेट कार्यालय: प्लॉट नं. 492, उद्योग विहार, फेज-3, गुरुग्राम, हरियाणा-122016

**कच्चा सूचना**  
 (अचल सम्पत्ति के लिये) नियम- 8 (1)  
**जैसा कि**, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति दितु प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत सैंटिन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति दितु (प्रवर्तन) निगमावली, 2002 के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोस्ताहरी ने मांग सूचना तिथि 19.04.2023 जारी कर ऋणधारकों 1) श्रीमति राजपुत्र, पुत्र सुभद्र सिंह, 2) नीलम कंकर, 3) श्रीमति सिंह, सभी निवासी: राजपुत्र मोहल्ला, केरनावा राजपुत्र, गुणपुर, केरनावा की ओ. नि.का- जयपुर, राज्य- राजस्थान, पिनकोड- 303108, भात (शम नं. LAKPR1201-00003614) को उक्त सूचना को प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि 10.04.2023 को रु. 13,71,714/- (रु. तेरह लाख इकहतर हजार सत्तार सौ चौदह मात्र) वापस लौटाने का निर्देश दिया था। ऋणधारक, इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 10 जुलाई, 2023 को अधोस्ताहरी ने उक्त निगमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उक्त प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोस्ताहरी ने चर्चा नीचे लिखित संघति का कच्चा कर लिया है।  
 विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित संघति का व्यवसाय न करें तथा इन संघतियों का किसी भी तरह का व्यवसाय नहीं ऊपर वर्णित राशि तथा उस पर ब्याज की राशि के लिये सैंटिन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के चार्ज के अधीन होगा।  
**अचल सम्पत्ति का विवरण:** खसरा नं. 385, ग्राम-केरनावा राजपुत्र, तहसील कोटपुतली एवं जिला जयपुर में स्थित आवाससम्पत्ति (घरों के बाद 'उक्त सम्पत्ति' वर्णित), माप 210.83 वर्ग यार्ड। चौकीद इस प्रकार है: पूर्व: 34.5 फीट स्वयं की भूमि, पश्चिम: 34.5 फीट स्वयं की भूमि, उत्तर: 55 फीट रोड, दक्षिण: 55 फीट आम भूमि  
**तिथि:** 05.07.2023 **हस्ता.-** प्राधिकृत अधिकारी  
**स्थान:** गुरुग्राम **सैंटिन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड**

प्रपत्र सं. आईएनसी-19  
**सूचना**  
**[कम्पनी (निगम) निगमावली, 2014 के नियम 22 के अनुवर्तन में]**  
 1. एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 8(4)(II)के अनुवर्तन में कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अंतर्गत उसे जारी की गई लाइसेंस के निरसन के लिये समाप्त प्रावधानों द्वारा क्षेत्रीय निदेशक, नो-2 विंग, 2वां तल, पी-डी नगर अन्वयेदक भवन, सीओओ कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली-110003 तथा कम्पनी रजिस्ट्रार, दिल्ली के पास आवेदन किया गया है। लाइसेंस के निरसन के बाद कम्पनी को अंततः नाम में "आईएच लिमिटेड" शब्द जोड़ना होगा।  
 3. प्रस्तावित कम्पनी के ड्रफ्ट मेमोरेण्डम तथा आर्डिनेंस प्रकृति की प्रति पत्र-एफ-5-11, 1वां तल ब्लॉक एफ, कम्प्लेक्स 1, मीणापुर रोड, वसंत कुंज, मेरौली दिल्ली-110029 में रखी जा सकती है।  
 4. एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वित्तीय व्यक्तित्व, चर्चा, कम्पनी, निगम, अथवा कम्पनी निगम को इस आवेदन के प्रति कोई आपत्ति हो, वे कम्पनी रजिस्ट्रार, 4वां तल, आईएचएनआई नगर, 61, नेहरू प्लेस एफ-5-11, 1वां तल ब्लॉक एफ के पास कम्पनी रजिस्ट्रार, दिल्ली को संबोधित कर पत्र द्वारा इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से नौ दिनों के भीतर कम्पनी रजिस्ट्रार, दिल्ली के पास ऐसी आवेदन दखल करें तथा उसकी एक प्रति पत्र-एफ-5-11, 1वां तल ब्लॉक एफ, कम्प्लेक्स 1, मीणापुर रोड, वसंत कुंज, मेरौली दिल्ली-110070 में आवेदक के पास अर्पणित करें।  
 आज, दिनांक 5 जुलाई, 2023 को।  
**कु. के. समायोक्त फाइनेंस नेशनल बैंक अथवा श्रीमती निदेशक, DIN: 09725173**

**हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड**  
 पंजी कार्यालय: 06, समायोक्त केन्द्र, बसंत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली-110057  
 दूरभाष: 011 42627000, टोल फ्री नंबर: 1800 212 8000, ई-मेल: customer.care@heroif.com  
 वेबसाइट: www.herohousingfinance.com, ऑफिस/एड्रेस: U65192DL2016PLC30148

**संघति प्राप्त करने सं 27, द्वितीय तल, गुमगाँव रोड, बसंत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली-110057**

**मांग सूचना**  
**प्रतिभूति दितु (प्रवर्तन) निगमावली 2002 ("निगमावली") के नियम 3 के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति दितु प्रवर्तन अधिनियम 2002 ("अधिनियम") की धारा 13(2) के अंतर्गत।**  
 जांच, अधोस्ताहरी ने हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (एतद्वारा "कम्पनी") के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति दितु (प्रवर्तन) निगमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों के प्रयोग/निर्वाह, अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत जारी की गयी मांग सूचना दिनांक 19/04/2023 को कच्चा कर लिया है। निम्न अधोस्ताहरी(सी)/उप-अधोस्ताहरी(सी)/घरधारी(सी) (सभी एतल वन) की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 1,30,00,000/- (एक करोड़ तीस लाख रुपये) में एक सम "दायित्वधारक" के रूप में संघति/स्थिर उत्तरदायित्वधारक(सी)/स्थिर प्रतिभूति(सी) प्राप्त होने तक, प्रत्याभूति आसितियों अथवा मूल आवेदन के क्रमांक 3क के तहत आवेदक द्वारा विनिर्दिष्ट अथवा खुलासा की गई समयावधि तथा आसितियों का अंतरण किसी, पट्टा अथवा अन्य प्रकार से, आपके व्यवसाय के साधारण कार्यों को छोड़कर, न्यायाधिकरण की पूर्ण अनुमति के बिना, नहीं करेंगे।  
 आप व्यवसाय के साधारण कार्यों में प्रत्याभूति आसितियों अथवा अन्य आसितियों तथा समयावधि की बिछी से प्राप्त होने वाली राशि का हिसाब रखने तथा ऐसी प्रतियां प्राप्त आसितियों पर प्रतिभूति दितु धारक बैंक अथवा वित्तीय संस्थाओं में अनुसूचित खाते में जमा करने हेतु जिम्मेदार होंगे। आपको लिखित कारण दायित्व करने, उसकी प्रति आवेदक को मुहैया कराने तथा दिनांक 24-07-2023 को पूर्ण, 10:00 बजे एडवॉकेट के सम्म पेश होने का भी निर्देश दिया जाता है, जिसमें अफसल रहने पर आवेदन की सुनवाई और निष्पत्ती आणकी प्रमाणित में किया जाएगा।  
 मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायाधिकरण की मोहर लगाकर 30-06-2023 को दिया गया।  
**समन जारी करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर**

**आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड**  
 प्राधिकृत कार्यालय- इंदौर, पंचम फ्लाइट, सारनाथ, गुजरात-462008  
 शाखा कार्यालय- आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, एरसीओ, 4वां फ्लोर मॉडल, बंधीगढ़ सिटी रोड, आंध्रप्रदेश, रायचूर, पंजाब

**पश्चिदि IV (प्रतिभूति दितु (प्रवर्तन) निगम, 2002 का नियम 8 (1) के अंतर्गत)**  
**कच्चा-सूचना (अचल संघति के लिए)**  
 वृत्ति, अधोस्ताहरी वित्तीय संघतियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति दितु अधिनियम, 2002 का 54) के तहत आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते और प्रतिभूति दितु (प्रवर्तन) निगम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 30.01.2023 को एक पत्र नोटिस जारी किया जिसमें उधारकर्ता सुनील, शैला से नोटिस में उल्लिखित राशि रु. 15,26,256.73/- (पंद्रह लाख छब्बीस हजार दो सौ अठ्ठावन और दसहत्तर पैसे मात्र) को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर पुनर्मुताता की मांग की है।  
 उधारकर्ताओं द्वारा राशि सुकाने में विफल रहने पर, उधारकर्ताओं और आम जनता को एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि अधोस्ताहरी ने प्रतिभूति दितु (प्रवर्तन) निगम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उक्त प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहाँ निम्न वर्णित संघति पर 03 जुलाई, 2023 को कच्चा कर लिया है।  
**विशेष रूप से उधारकर्ताओं और आम जनता को एतद्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित संघति का व्यवसाय न करें तथा इन संघतियों का किसी भी तरह का व्यवसाय नहीं ऊपर वर्णित राशि तथा उस पर ब्याज की राशि हेतु आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के चार्ज के अधीन होगा। प्रतिभूति परिसंपत्तियों को मनुने के लिए उपलब्ध समग्र के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा 8 के प्रावधानों के अंतर्गत उधारकर्ताओं का ध्यान आकर्षित किया जाता है।**  
**अचल संघति का विवरण:** खसरा नं. 385, ग्राम-केरनावा राजपुत्र, तहसील कोटपुतली एवं जिला जयपुर में स्थित आवाससम्पत्ति (घरों के बाद 'उक्त सम्पत्ति' वर्णित), माप 210.83 वर्ग यार्ड। चौकीद इस प्रकार है: पूर्व: 34.5 फीट स्वयं की भूमि, पश्चिम: 34.5 फीट स्वयं की भूमि, उत्तर: 55 फीट रोड, दक्षिण: 55 फीट आम भूमि  
**दिनांक:** 03.07.2023 **माधिकृत अधिकारी**  
**स्थान:** रायचूर, आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

प्रपत्र सं. आईएनसी-26  
 क्षेत्रीय सरकार क्षेत्रीय निदेशक के सम्म (पत्रों की ओर) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कम्पनी (निगम) निगम, 2014 के नियम 30 के उपबन्धन (6) के खंड (अ) के नामाले में

**ब्राइट एंड शाहन माइक्रो प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड**  
 निरसन कोर्ट/पेट्टा दिनांक: 12.10.12/2005, मेरौली ई. 2, सीओओ कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली-110003, दिल्ली

**सूचना**  
 आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि यह कम्पनी को-निगम सरकार के सम्म कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत निगम को समाप्त करने के लिए समाप्त प्रावधानों द्वारा क्षेत्रीय निदेशक, नो-2 विंग, 2वां तल, पी-डी नगर अन्वयेदक भवन, सीओओ कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली-110003 तथा कम्पनी रजिस्ट्रार, दिल्ली के पास आवेदन किया गया है। लाइसेंस के निरसन के बाद कम्पनी को अंततः नाम में "आईएच लिमिटेड" शब्द जोड़ना होगा।  
 3. प्रस्तावित कम्पनी के ड्रफ्ट मेमोरेण्डम तथा आर्डिनेंस प्रकृति की प्रति पत्र-एफ-5-11, 1वां तल ब्लॉक एफ, कम्प्लेक्स 1, मीणापुर रोड, वसंत कुंज, मेरौली दिल्ली-110029 में रखी जा सकती है।  
 4. एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वित्तीय व्यक्तित्व, चर्चा, कम्पनी, निगम, अथवा कम्पनी निगम को इस आवेदन के प्रति कोई आपत्ति हो, वे कम्पनी रजिस्ट्रार, 4वां तल, आईएचएनआई नगर, 61, नेहरू प्लेस एफ-5-11, 1वां तल ब्लॉक एफ के पास कम्पनी रजिस्ट्रार, दिल्ली को संबोधित कर पत्र द्वारा इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से नौ दिनों के भीतर कम्पनी रजिस्ट्रार, दिल्ली के पास ऐसी आवेदन दखल करें तथा उसकी एक प्रति पत्र-एफ-5-11, 1वां तल ब्लॉक एफ, कम्प्लेक्स 1, मीणापुर रोड, वसंत कुंज, मेरौली दिल्ली-110070 में आवेदक के पास अर्पणित करें।  
 आज, दिनांक 5 जुलाई, 2023 को।  
**कु. के. समायोक्त फाइनेंस नेशनल बैंक अथवा श्रीमती निदेशक, DIN: 09725173**

**हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड**  
 पंजी कार्यालय: 06, समायोक्त केन्द्र, बसंत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली-110057  
 दूरभाष: 011 42627000, टोल फ्री नंबर: 1800 212 8000, ई-मेल: customer.care@heroif.com  
 वेबसाइट: www.herohousingfinance.com, ऑफिस/एड्रेस: U65192DL2016PLC30148

**संघति प्राप्त करने सं 27, द्वितीय तल, गुमगाँव रोड, बसंत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली-110057**

**मांग सूचना**  
**प्रतिभूति दितु (प्रवर्तन) निगमावली 2002 ("निगमावली") के नियम 3 के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति दितु प्रवर्तन अधिनियम 2002 ("अधिनियम") की धारा 13(2) के अंतर्गत।**  
 जांच, अधोस्ताहरी ने हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (एतद्वारा "कम्पनी") के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति दितु (प्रवर्तन) निगमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों के प्रयोग/निर्वाह, अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत जारी की गयी मांग सूचना दिनांक 19/04/2023 को कच्चा कर लिया है। निम्न अधोस्ताहरी(सी)/उप-अधोस्ताहरी(सी)/घरधारी(सी) (सभी एतल वन) की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 1,30,00,000/- (एक करोड़ तीस लाख रुपये) में एक सम "दायित्वधारक" के रूप में संघति/स्थिर उत्तरदायित्वधारक(सी)/स्थिर प्रतिभूति(सी) प्राप्त होने तक, प्रत्याभूति आसितियों अथवा मूल आवेदन के क्रमांक 3क के तहत आवेदक द्वारा विनिर्दिष्ट अथवा खुलासा की गई समयावधि तथा आसितियों का अंतरण किसी, पट्टा अथवा अन्य प्रकार से, आपके व्यवसाय के साधारण कार्यों को छोड़कर, न्यायाधिकरण की पूर्ण अनुमति के बिना, नहीं करेंगे।  
 आप व्यवसाय के साधारण कार्यों में प्रत्याभूति आसितियों अथवा अन्य आसितियों तथा समयावधि की बिछी से प्राप्त होने वाली राशि का हिसाब रखने तथा ऐसी प्रतियां प्राप्त आसितियों पर प्रतिभूति दितु धारक बैंक अथवा वित्तीय संस्थाओं में अनुसूचित खाते में जमा करने हेतु जिम्मेदार होंगे। आपको लिखित कारण दायित्व करने, उसकी प्रति आवेदक को मुहैया कराने तथा दिनांक 24-07-2023 को पूर्ण, 10:00 बजे एडवॉकेट के सम्म पेश होने का भी निर्देश दिया जाता है, जिसमें अफसल रहने पर आवेदन की सुनवाई और निष्पत्ती आणकी प्रमाणित में किया जाएगा।  
 मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायाधिकरण की मोहर लगाकर 30-06-2023 को दिया गया।  
**समन जारी करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर**

**ओरिएण्ट बेल लिमिटेड**  
 सीआरएन: L14101UP1977PLC021546  
 पंजीकृत कार्यालय रु. 8, इंडियन स्ट्रीट, सिन्धुनगर-203025, बुलन्दशहर, यूपी.  
 कॉर्पोरेट कार्यालय रु. आदर्श हाउस, 16 विजितेस सेक्टर, नागल राया, नई दिल्ली-110046  
 दूरभाष रु. 91-11-4719100, ई-मेल: investor@orientbell.com, वेबसाइट: www.orientbell.com

**(क) 46वीं वार्षिक आम बैठक तथा (ख) लाभांश हेतु रिजर्वड तिथि के विषय में सूचना**  
 एजीएम आमंत्रण सूचना में निम्नलिखित सामान्य एवं विशेष प्रकाशों के लेखन के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 तथा उसके तहत निर्मित नियमों के समस्त प्रावधानों का उपयोग एवं कॉर्पोरेट मामलों के अधिनियम (पर्सनल), भारत सरकार तथा भारतीय प्रतिभूति एवं वित्तीय बोर्ड (बीबी) द्वारा जारी समस्त प्रावधानों परिसंपत्तियों के अनुपालन में कम्पनी की 46वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की तिथि का निर्धारण (बीबी) द्वारा सूचना के माध्यम से मंगवाया, 25 जुलाई, 2023 को 10.00 बजे पूर्ण।  
 कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय अर्थात् 8, इंडियन स्ट्रीट, सिन्धुनगर-203025, जिला बुलन्दशहर (उ.प्र.) एजीएम के उद्देश्य से स्थान के रूप में काम करेगा।  
 एजीएम के उद्देश्य हेतु आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोस्ताहरी ने उक्त निगमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उक्त प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहाँ निम्न वर्णित संघति पर 03 जुलाई, 2023 को कच्चा कर लिया है।  
**विशेष रूप से उधारकर्ताओं और आम जनता को एतद्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित संघति का व्यवसाय न करें तथा इन संघतियों का किसी भी तरह का व्यवसाय नहीं ऊपर वर्णित राशि तथा उस पर ब्याज की राशि हेतु आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के चार्ज के अधीन होगा। प्रतिभूति परिसंपत्तियों को मनुने के लिए उपलब्ध समग्र के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा 8 के प्रावधानों के अंतर्गत उधारकर्ताओं का ध्यान आकर्षित किया जाता है।**  
**अचल संघति का विवरण:** खसरा नं. 385, ग्राम-केरनावा राजपुत्र, तहसील कोटपुतली एवं जिला जयपुर में स्थित आवाससम्पत्ति (घरों के बाद 'उक्त सम्पत्ति' वर्णित), माप 210.83 वर्ग यार्ड। चौकीद इस प्रकार है: पूर्व: 34.5 फीट स्वयं की भूमि, पश्चिम: 34.5 फीट स्वयं की भूमि, उत्तर: 55 फीट रोड, दक्षिण: 55 फीट आम भूमि  
**दिनांक:** 03.07.2023 **प्राधिकृत अधिकारी**  
**स्थान:** रायचूर, आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

**"धारा 7, आईएनसी-28"**  
 सार्वजनिक कम्पनी (एफ प्रवर्तन) के अंतर्गत निगम को समाप्त करने के लिए समाप्त प्रावधानों में प्रकाशित किया जाने के लिए विज्ञापन क्षेत्रीय निदेशक, निगमित मामलों के मंत्रालय उत्तरी क्षेत्र नई दिल्ली-60, के सम्म कम्पनी अधिनियम, 2013, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 और कम्पनी (समाप्तन) निगम, 2014 के नियम 41 के नामाले में

**मेसर्स गणम इन्फ्राएनर्जी लिमिटेड**  
 इस्का पीछी/पेट्टा दिनांक: 28, नरकपट्ट रोड, नई दिल्ली-110015

**सूचना**  
 आम जनता को यह सूचित किया जाता है कि कम्पनी को-निगम सरकार के सम्म कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत निगम को समाप्त करने के लिए समाप्त प्रावधानों द्वारा क्षेत्रीय निदेशक, नो-2 विंग, 2वां तल, पी-डी नगर अन्वयेदक भवन, सीओओ कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली-110003 तथा कम्पनी रजिस्ट्रार, दिल्ली के पास आवेदन किया गया है। लाइसेंस के निरसन के बाद कम्पनी को अंततः नाम में "आईएच लिमिटेड" शब्द जोड़ना होगा।  
 3. प्रस्तावित कम्पनी के ड्रफ्ट मेमोरेण्डम तथा आर्डिनेंस प्रकृति की प्रति पत्र-एफ-5-11, 1वां तल ब्लॉक एफ, कम्प्लेक्स 1, मीणापुर रोड, वसंत कुंज, मेरौली दिल्ली-110029 में रखी जा सकती है।  
 4. एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वित्तीय व्यक्तित्व, चर्चा, कम्पनी, निगम, अथवा कम्पनी निगम को इस आवेदन के प्रति कोई आपत्ति हो, वे कम्पनी रजिस्ट्रार, 4वां तल, आईएचएनआई नगर, 61, नेहरू प्लेस एफ-5-11, 1वां तल ब्लॉक एफ के पास कम्पनी रजिस्ट्रार, दिल्ली को संबोधित कर पत्र द्वारा इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से नौ दिनों के भीतर कम्पनी रजिस्ट्रार, दिल्ली के पास ऐसी आवेदन दखल करें तथा उसकी एक प्रति पत्र-एफ-5-11, 1वां तल ब्लॉक एफ, कम्प्लेक्स 1, मीणापुर रोड, वसंत कुंज, मेरौली दिल्ली-110070 में आवेदक के पास अर्पणित करें।  
 आज, दिनांक 5 जुलाई, 2023 को।  
**कु. के. समायोक्त फाइनेंस नेशनल बैंक अथवा श्रीमती निदेशक, DIN: 09725173**

**हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड**  
 पंजी कार्यालय: 06, समायोक्त केन्द्र, बसंत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली-110057  
 दूरभाष: 011 42627000, टोल फ्री नंबर: 1800 212 8000, ई-मेल: customer.care@heroif.com  
 वेबसाइट: www.herohousingfinance.com, ऑफिस/एड्रेस: U65192DL2016PLC30148

**संघति प्राप्त करने सं 27, द्वितीय तल, गुमगाँव रोड, बसंत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली-110057**

**मांग सूचना**  
**प्रतिभूति दितु (प्रवर्तन) निगमावली 2002 ("निगमावली") के नियम 3 के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति दितु प्रवर्तन अधिनियम 2002 ("अधिनियम") की धारा 13(2) के अंतर्गत।**  
 जांच, अधोस्ताहरी ने हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (एतद्वारा "कम्पनी") के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति दितु (प्रवर्तन) निगमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों के प्रयोग/निर्वाह, अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत जारी की गयी मांग सूचना दिनांक 19/04/2023 को कच्चा कर लिया है। निम्न अधोस्ताहरी(सी)/उप-अधोस्ताहरी(सी)/घरधारी(सी) (सभी एतल वन) की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 1,30,00,000/- (एक करोड़ तीस लाख रुपये) में एक सम "दायित्वधारक" के रूप में संघति/स्थिर उत्तरदायित्वधारक(सी)/स्थिर प्रतिभूति(सी) प्राप्त होने तक, प्रत्याभूति आसितियों अथवा मूल आवेदन के क्रमांक 3क के तहत आवेदक द्वारा विनिर्दिष्ट अथवा खुलासा की गई समयावधि तथा आसितियों का अंतरण किसी, पट्टा अथवा अन्य प्रकार से, आपके व्यवसाय के साधारण कार्यों को छोड़कर, न्यायाधिकरण की पूर्ण अनुमति के बिना, नहीं करेंगे।  
 आप व्यवसाय के साधारण कार्यों में प्रत्याभूति आसितियों अथवा अन्य आसितियों तथा समयावधि की बिछी से प्राप्त होने वाली राशि का हिसाब रखने तथा ऐसी प्रतियां प्राप्त आसितियों पर प्रतिभूति दितु धारक बैंक अथवा वित्तीय संस्थाओं में अनुसूचित खाते में जमा करने हेतु जिम्मेदार होंगे। आपको लिखित कारण दायित्व करने, उसकी प्रति आवेदक को मुहैया कराने तथा दिनांक 24-07-2023 को पूर्ण, 10:00 बजे एडवॉकेट के सम्म पेश होने का भी निर्देश दिया जाता है, जिसमें अफसल रहने पर आवेदन की सुनवाई और निष्पत्ती आणकी प्रमाणित में किया जाएगा।  
 मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायाधिकरण की मोहर लगाकर 30-06-2023 को दिया गया।  
**समन जारी करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर**

**ओरिएण्ट बेल लिमिटेड**  
 सीआरएन: L14101UP1977PLC021546  
 पंजीकृत कार्यालय रु. 8, इंडियन स्ट्रीट, सिन्धुनगर-203025, बुलन्दशहर, यूपी.  
 कॉर्पोरेट कार्यालय रु. आदर्श हाउस, 16 विजितेस सेक्टर, नागल राया, नई दिल्ली-110046  
 दूरभाष रु. 91-11-4719100, ई-मेल: investor@orientbell.com, वेबसाइट: www.orientbell.com

**(क) 46वीं वार्षिक आम बैठक तथा (ख) लाभांश हेतु रिजर्वड तिथि के विषय में सूचना**  
 एजीएम आमंत्रण सूचना में निम्नलिखित सामान्य एवं विशेष प्रकाशों के लेखन के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 तथा उसके तहत निर्मित नियमों के समस्त प्रावधानों का उपयोग एवं कॉर्पोरेट मामलों के अधिनियम (पर्सनल), भारत सरकार तथा भारतीय प्रतिभूति एवं वित्तीय बोर्ड (बीबी) द्वारा जारी समस्त प्रावधानों परिसंपत्तियों के अनुपालन में कम्पनी की 46वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की तिथि का निर्धारण (बीबी) द्वारा सूचना के माध्यम से मंगवाया, 25 जुलाई, 2023 को 10.00 बजे पूर्ण।  
 कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय अर्थात् 8, इंडियन स्ट्रीट, सिन्धुनगर-203025, जिला बुलन्दशहर (उ.प्र.) एजीएम के उद्देश्य से स्थान के रूप में काम करेगा।  
 एजीएम के उद्देश्य हेतु आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोस्ताहरी ने उक्त निगमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उक्त प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहाँ निम्न वर्णित संघति पर 03 जुलाई, 2023 को कच्चा कर लिया है।  
**विशेष रूप से उधारकर्ताओं और आम जनता को एतद्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित संघति का व्यवसाय न करें तथा इन संघतियों का किसी भी तरह का व्यवसाय नहीं ऊपर वर्णित राशि तथा उस पर ब्याज की राशि हेतु आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के चार्ज के अधीन होगा। प्रतिभूति परिसंपत्तियों को मनुने के लिए उपलब्ध समग्र के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा 8 के प्रावधानों के अंतर्गत उधारकर्ताओं का ध्यान आकर्षित किया जाता है।**  
**अचल संघति का विवरण:** खसरा नं. 385, ग्राम-केरनावा राजपुत्र, तहसील कोटपुतली एवं जिला जयपुर में स्थित आवाससम्पत्ति (घरों के बाद 'उक्त सम्पत्ति' वर्णित), माप 210.83 वर्ग यार्ड। चौकीद इस प्रकार है: पूर्व: 34.5 फीट स्वयं की भूमि, पश्चिम: 34.5 फीट स्वयं की भूमि, उत्तर: 55 फीट रोड, दक्षिण: 55 फीट आम भूमि  
**दिनांक:** 03.07.2023 **प्राधिकृत अधिकारी**  
**स्थान:** रायचूर, आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड